राष्ट्रीय वृद्धजन नीति

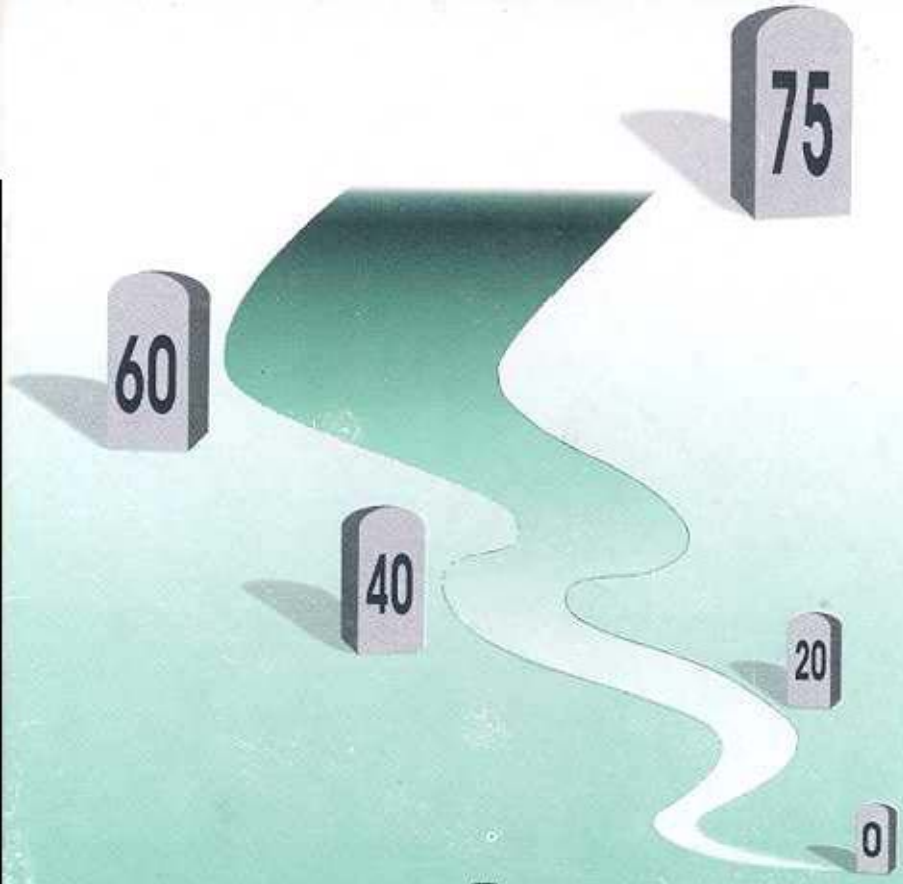

सत्यमेव जयते

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

राष्ट्रीय वृद्धजन नीति

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

अनुवाद
राष्ट्रीय वृद्धजन शिक्षा संसाधन, केन्द्र
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली

II. पृष्ठभूमि

जनगणना सूचक

1. जनगणना आकलन में बुजुर्ग लोगों की संख्या में वृद्धि एक सार्वत्रिक परिघटना है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। लोग दीर्घायु हो रहे हैं। सन् 1951-60 के बीच पुरुषों की जीवन-प्रत्याशा (Life expectancy) जन्म के समय 42 वर्ष थी जो सन् 1986-90 की अवधि में बढ़कर 58 वर्ष हो गई। अनुमान किया गया है कि सन् 2011-16 के बीच यह और बढ़कर 67 वर्ष तक पहुंच जाएगी। इस प्रकार 1986-90 से 2011-16 की अवधि के पच्चीस वर्षों में देश की कुल आबादी में बुजुर्गों की जीवन-प्रत्याशा की गणना में लगभग 9 वर्ष की वृद्धि होने की संभावना है जब यह 58 वर्ष से बढ़कर 67 वर्ष हो जाएगी। महिलाओं के लिए जीवन प्रत्याशा अधिक बढ़ी है। समान अवधि में ही यह बढ़ोतरी करीब 11 वर्ष की है। महिलाओं के लिए यह जीवन-प्रत्याशा सन् 1986-90 के 58 वर्षों से बढ़कर सन् 2011-16 में 69 वर्ष होने की संभावना है। 60 वर्ष के आयु वर्ग में भी जीवन-प्रत्याशा में निरंतर वृद्धि परिलक्षित है और उपरोक्त प्रवृत्ति के अनुरूप महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले यह कुछ अधिक है। 1989-93 के वर्षों में यह वृद्धि पुरुषों के लिए 15 वर्ष और महिलाओं के लिए 16 वर्ष थी।

2. जीवन-प्रत्याशा में सुधार के परिणामस्वरूप 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। सन् 1901 में भारत में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग मात्र 1.2 करोड़ थे। यह आबादी बढ़कर सन् 1951 में 2 करोड़ तथा 1991 में 5.7 करोड़ तक पहुंच गई। **टेक्निकल ग्रुप ऑन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन्स (1996)** द्वारा सन् 1996-2016 की अवधि के लिए व्यक्त की गयी संभावित जनसंख्या सन् 2013 तक 10 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी। सन् 2016 के बाद के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किए गए आकलन (संशोधन, 1996) इंगित करते हैं कि भारत में सन् 2030 में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति 19.8 करोड़ और सन् 2050 में 32.6 करोड़ होंगे। स्पष्टतः कुल आबादी में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के प्रतिशत में निरंतर बढ़ोतरी हुई है। सन् 1901 में यह 5.1 प्रतिशत थी जो सन् 1991 में बढ़कर 6.8 प्रतिशत हो गयी। सन् 2016 में इसके 8.9 प्रतिशत तक पहुंच जाने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र संघ (संशोधन, 1996) द्वारा सन् 2016

के बाद के लिए दिए गए आंकड़ों के अनुसार सन् 2050 तक भारत की आबादी का 21 प्रतिशत 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का होगा।

3. उपरोक्त आंकड़ों में यह वृद्धि जनगणना के विस्तृत आधार के कारण वास्तविक जनसंख्या आकलन में काफी अधिक वृद्धि को इंगित करती है। आने वाले वर्षों में यह जनसंख्या वृद्धि बिलकुल स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ जाएगी। सन् 2001-11 के दशक में 60 वर्ष से अधिक के आयु वर्ग में 2.5 करोड़ लोगों की बढ़ोतरी होने की संभावना है। यह बढ़ोतरी सन् 1961 में 60+ वय के लोगों की कुल संख्या के बराबर होगी। पुन: सन् 1991-2016 के बीच पच्चीस वर्षों में इस आयु वर्ग में 5.54 करोड़ लोगों की वृद्धि संभावित है जो सन् 1991 में इसी आयु वर्ग के लोगों की कुल आबादी के करीब-करीब बराबर है। दूसरे शब्दों में सन् 1991 से अगले पच्चीस वर्षों की अवधि में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या करीब दोगुनी हो जाएगी।

4. सन् 1991 में कुल आबादी का 63 प्रतिशत (अर्थात् 3.6 करोड़) 60-69 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का था। इन लोगों को अक्सर 'अपेक्षाकृत कम वृद्ध' (not so old) या 'वृद्ध' (old) का दर्जा दिया गया। 80 वर्ष एवं ऊपर के 11 प्रतिशत (अर्थात् 60 लाख) वृद्ध वे थे जिन्हें 'वयोवृद्ध' (older old) या 'अतिवृद्ध' की श्रेणी में रखा गया। सन् 2016 में इन आयु वर्गों में लोगों का प्रतिशत समान ही होगा परंतु उनकी संख्या क्रमश: 6.9 करोड़ एवं 1.1 करोड़ संभावित है। इस प्रकार हम उम्मीद कर सकते हैं कि 60-69 आयु वर्ग की आबादी का 60% भाग एक सीमा तक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। वे गंभीर विकलांगता से बचे हुए होंगे और सक्रिय जीवन जीने में सक्षम होंगे। 70-79 आयु वर्ग की आबादी का करीब एक तिहाई सक्रिय जीवनयापन के लिए समर्थ होगा। ये आंकड़े वस्तुत: हमारे देश की व्यापक मानव संसाधन निधि के परिचायक हैं।

5. भारत में 60 वर्ष से अधिक की उम्र वाले वर्ग में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है। सन् 1991 में 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों की संख्या 2.9 करोड़ थी जबकि महिलाओं की 2.7 करोड़ थी। हमारे आकलन के अनुसार सन् 2016 तक यही स्थिति बनी रहेगी। उस समय 60+ वय वाले वृद्ध पुरुषों की संख्या अनुमानत: 5.7 करोड़ रहेगी जबकि ऐसी वृद्ध महिलाओं की संख्या 5.6 करोड़।

6. 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं में उसी वर्ग के पुरुषों की अपेक्षा वैधव्य की घटना कहीं अधिक है। इसका स्पष्ट कारण है — महिलाओं का अपने से कई वर्ष

बड़े पुरुषों के साथ विवाह और फिर पति की मृत्यु के बाद उनका पुनर्विवाह नहीं होना। वे अधिक दिनों तक जीवित भी रहती हैं। सन् 1991 में 1.48 करोड़ विधवाएं 60 वर्ष से अधिक आयु की थीं, परंतु मात्र 45 लाख विधुर (पुरुष) थे। अर्थात् विधुरों की तुलना में विधवाओं की संख्या कहीं अधिक थी।

प्रभाव

7. वृद्ध व्यक्तियों की बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव वैश्विक एव घरेलू दोनों स्तरों पर है। यह विशाल संख्या दो बातों की ओर इंगित करती है — मानव संसाधन निधि की विशालता एवं उसे सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य लाभ देने के लिए किए जाने वाले प्रयासों की आवश्यकता।

8. जनगणना परिवर्तन के साथ सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन कुछ क्षेत्र में लाभदायक होते हैं और कुछ अन्य में चिंताजनक।

9. आने वाले दशकों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के उन लोगों की तादाद बढ़ेगी जो मध्य एव ऊपरी आय वर्ग में रहेंगे। अत: उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी एवं वे उस तरफ से कुछ सुरक्षित रहेंगे। उनकी शैक्षणिक योग्यता एवं जानकारी बेहतर स्तरीय होगी। वे अपने 60 के दशक में ही नहीं अपितु 70 के दशक के पूर्वार्द्ध में भी सक्रिय जीवन यापन कर सकेंगे। अपनी उत्साहपूर्ण मनोदशा के कारण वे अधिक सक्रिय, रचनात्मक एवं संतुष्ट जीवन जीने के अवसर ढूंढेंगे।

10. वृद्ध जनों की दशा में कुछ चिन्तनीय पहलू भी उभरेंगे। दरअसल उनके लक्षण स्पष्ट हो चुके हैं। वृद्ध जनों की जीवन शैली में दबाव एवं दरार बढ़ेंगे। हालांकि आज भी भारत में पारिवारिक बंधन निर्विवाद रूप से अधिक मजबूत हैं, और अधिकांश ऐसे लोग अपने बेटों के साथ रहते हैं या फिर उनके आसरे। और फिर कामकाजी दंपतियों के लिए तो वृद्ध माता-पिता की उपस्थिति न केवल भावनात्मक बंधन है बल्कि एक आवश्यकता भी है। ये वृद्धजन घर संभालने एवं बच्चों की देखभाल में बहुत सहायक होते हैं। फिर भी कई कारणों से वृद्ध जनों की एक बड़ी तादाद का जीवन असुरक्षित हो गया है और अब वे यह मानकर निश्चिन्त नहीं हो सकते कि वृद्धावस्था में आवश्यकता पड़ने पर उनके बच्चे उनके काम आएंगे। इस सोच के पीछे खासकर उनके जीवन का लंबापन है। परिणामत: निर्भरता की अवधि बढ़ती है और तदनुसार बढ़ता है स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यकताओं पर होने वाला खर्च।

11. औद्योगीकरण, शहरीकरण, शिक्षा एवं विकसित देशों की जीवन शैली की जानकारी हमारे मूल्यों एवं जीवन शैली को प्रभावित करती है। आज बच्चों के लालन-पालन, शिक्षा एवं उनकी मांगों पर अत्यधिक खर्च होता है। परिणामतः लोग अपनी आय में माता-पिता के देखभाल का हिस्सा काटने को मजबूर हैं। शहरी इलाकों में आवास में जगह की कमी एवं उच्च किरायों के कारण प्रवासी जन अपने माता-पिता को उनके मूल निवास स्थानों पर ही रहने देते हैं।

महिलाओं की बदलती भूमिका एवं आकांक्षा तथा उनकी परिकल्पना में 'अपनी जगह' एवं निजीपन की भावना के परिणामस्वरूप वृद्ध जनों की देखभाल के समय में कटौती हो जाती है। महिलाएं अब वृद्ध जनों की देखरेख का दायित्व अधिक दिनों तक बोझस्वरूप नहीं ढोना चाहती हैं। घर से बाहर किए जाने वाले रोजगार एवं जीविका संबंधी उनकी महत्वाकांक्षाओं का खामियाजा भी वृद्धजनों को भुगतना पड़ता है। इतना ही नहीं, छोटे परिवार का नारा बुलंद करने वालों की बढ़ती तादाद से सेवा करने वालों की संख्या में बहुत कमी आयी है। इसकी खास वजह यह है कि निरंतर बढ़ते ऐसे परिवारों में लड़कियां भी पूरी तरह व्यस्त हैं। वे या तो अपने शैक्षणिक गतिविधियों में लगी हैं या फिर रोजगार के विकास में। एकाकी जीवन बिताने वालों के लिए (खासकर महिलाओं के लिए) वृद्धावस्था का जीवन अधिक दुष्कर हो जाता है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उनका भी ध्यान रखते हैं जिनसे उनका कोई वंशानुगत संबंध नहीं होता। ऐसी ही दशा विधवाओं की भी है। उनमें अधिकांश के पास आय का व्यक्तिगत स्रोत नहीं होता है। उनकी कोई संपत्ति नहीं होती और वे पूर्णतया किसी पर आश्रित होती हैं।

प्रावधान :

12. भारत के संविधान में वृद्ध जनों के कल्याण का प्रावधान है। राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व (अनुच्छेद 41) के अनुसार राज्य अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास को ध्यान में रखते हुए वृद्धजनों हेतु सरकारी सहायता (Public assistance) का अधिकार सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य प्रावधान भी हैं जो राज्य को निर्देशित करते हैं कि वह अपने नागरिकों के जीवन में गुणात्मक सुधार लाए। हमारे संविधान में समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इसके प्रावधान वृद्धों के लिए भी प्रभावी हैं और सामाजिक सुरक्षा का दायित्व राज्य एवं केंद्र सरकारों पर समान रूप से है।

13. विगत दो दशकों में वृद्ध जनों की दशा पर जनांकिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के प्रभाव जैसे मुद्दे पर गहन विचार-विमर्श एवं वाद-विवाद हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों को समय-समय पर वृद्धजनों के लिए नीति बनाकर तदनुसार कार्यक्रम चलाने के लिए उत्साहित करता रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सन् 1991 में **वृद्ध जनों के लिए संयुक्त राष्ट्र की नीति** अपनायी गई। सन् 1992 में महासभा द्वारा **वृद्धावस्था पर एक घोषणा पत्र** एवं सन् 2001 के लिए **वृद्धावस्था पर वैश्विक लक्ष्य** जैसे कार्यक्रम बनाए गए। इसके अलावा अन्य कार्यक्रम भी निर्धारित किए गए।

14. वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में 'राज्य की नीति का विवरण' जैसी मांग कई वर्षों से उठायी जाती रही है। इसका उद्देश्य है ऐसे नागरिकों को उनकी पहचान बनाए रखने में मदद करना और राष्ट्रीय परिदृश्य में उनकी स्थिति बरकरार रखना। विभिन्न मंचों पर वृद्धावस्था के मुद्दे उठाए गए जहां संबंधित नीतियों के विवरण की आवश्यकता पर बल दिया गया। इस विवरण (Statement) में नीतिगत बातों का आधारभूत सिद्धांत, दिशा एवं आवश्यकता का खुलासा होगा। सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थानों की अपेक्षित भूमिका तय होगी। इस प्रकार मानवोचित ढंग से एकीकृत समाज के निर्माण में विभिन्न कार्यक्रम एवं उनका संचालन करने वाले संस्थानों का दायित्व निश्चित किया जाएगा।

II. राष्ट्रीय नीति का विवरण

15. राष्ट्रीय नीति वृद्धजनों को आश्वासन देती है कि उनकी चिंताएं राष्ट्र की समस्या है। उन्हें असुरक्षित जिंदगी नहीं बितानी होगी। वे हाशिए पर या तिरस्कृत नहीं रहेंगे। राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य वृद्धजनों का कल्याण है। इसका उद्देश्य है समाज में इन लोगों की वैध स्थिति को मजबूत बनाना और जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर इन की जिंदगी को उद्देश्यपूर्ण, सम्मानजनक एवं शांतिपूर्ण बनाना।

16. इस नीति की परिकल्पना में राज्य वृद्धजनों की आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य की देखरेख, आवास, कल्याण एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्ण सहयोग करेगा। उन्हें शोषण एवं दुर्व्यवहार से बचाएगा। उनकी क्षमता के विकास के अवसर जुटाएगा। उन्हें सहभागी बनाएगा और उन्हें सेवा करने का अवसर देकर उनके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन करेगा। यह नीति कुछ विस्तृत सिद्धांतों पर आधारित है।

17. यह नीति मानती है कि बुजुर्गों के हित में एक निश्चित कार्यक्रम की आवश्यकता है। इसलिए हमें सुनिश्चित करना है कि बुजुर्गों के अधिकारों का हनन नहीं हो। उन्हें विकास के फायदों में उचित अवसर एवं बराबर का हिस्सा मिले। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के प्रति इन कार्यक्रमों एवं प्रशासनिक गतिविधियों का अधिक संवेदनशील होना जरूरी है। वृद्ध महिलाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी ताकि वे 'लिंग, वैधव्य एवं आयु' के आधार पर तिहरा तिरस्कार एवं भेदभाव न झेलें।

18. यह नीति जीवन चक्र को एक निरंतरता में देखती है जिसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र की स्थिति इस जीवन का एक अभिन्न भाग है। इस नीति के अनुसार साठेत्तर जीवन पराधीनता के जीवन की शुरुआत नहीं है। दरअसल 60 वर्ष के बाद का जीवन वह स्थिति है जहां लोगों के पास एक सक्रिय, रचनात्मक, उत्पादक एवं संतुष्ट जीवन हेतु कई रास्ते होंगे और ढेर सारे अवसर भी। इस प्रकार महत्वपूर्ण यह है कि बुजुर्गों का न केवल ध्यान रखा जाए बल्कि उनसे सक्रिय एवं उत्पादनशील सहयोग लिया जाए।

19. यह नीति उस समाज को महत्व देती है जिसमें हर उम्र के लोग एकीकृत होकर रहेंगे। यह पीढ़ियों के बीच के संबंध को मजबूत बनाएगी। उनमें परस्पर संबंधों का आदान-प्रदान होगा। युवाओं एवं वृद्धों के बीच के बंधन को दृढ़ बनाया जाएगा। इस नीति में एक औपचारिक एवं अनौपचारिक सामाजिक सहयोग व्यवस्था बनाने की बात निहित है। इससे परिवारों में वृद्धों की देखभाल की क्षमता बढ़ेगी। बूढ़े लोग अपने परिवारों में रह सकेंगे।

20. यह नीति मानती है कि बूढ़े लोग भी लाभदायक हैं। वे परिवार में और उससे बाहर महत्वपूर्ण सेवा दे सकते है। वे महज वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोक्ता ही नहीं अपितु उनके उत्पादक भी हैं। उन्हें समुचित अवसर एवं सुविधाएं प्रदान करना चाहिए ताकि वे अधिक प्रभावी ढंग से परिवार, समुदाय एवं समाज के काम आ सकें।

21. इस नीति के अंदर यह दृढ़ विश्वास व्यक्त किया गया है कि बुजुर्गों को अधिकार देने से उन्हें अपने जीवन पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा। वे अपने जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर निर्णय ले सकेंगे। साथ ही विकास प्रक्रिया से संबंधित अन्य बातों पर भी वे बराबरी से हिस्सा लेंगे। निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी

बढ़-चढ़कर भागीदारी अनिवार्य है क्योंकि निर्वाचन-मण्डल में 12 प्रतिशत भाग उन्हीं का है और यह अनुपात आगामी वर्षों में बढ़ने वाला है।

22. इस नीति के अनुसार राज्य को बजट में इनके लिए अधिक धन का प्रावधान करना होगा। ग्रामीण एवं शहरी गरीबों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। हालांकि सिर्फ राज्य के लिए न तो यह संभव है और न ही ऐच्छिक कि वह इस राष्ट्रीय नीति के लक्ष्यों को अकेले पूरा करे। अत: सभ्य समाज के हरेक व्यक्ति, परिवार, समुदाय एवं संस्थान को भागीदार बनकर हाथ बंटाना पड़ेगा।

23. वृद्ध व्यक्तियों के लिए (खासकर महिलाओं के लिए) सामाजिक एवं सामुदायिक सेवा के विस्तार पर बल दिया गया है। इन सेवाओं की पहुंच एवं उपयोग को विस्तृत बनाने के लिए सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक तथा शारीरिक बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इन सेवाओं को ग्राहकोन्मुखी एवं व्यवहार-सुलभ बनाया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां वृद्ध व्यक्तियों की कुल आबादी का तीन-चौथाई हिस्सा निवास करता है, इन सेवाओं के उचित विकास के लिए विशेष प्रयास की जरूरत है।

मध्यस्थता के मुख्य क्षेत्र एवं कार्य योजना

आर्थिक सुरक्षा

24. वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा की गंभीर चिंता रहती है। यह देखते हुए कि इस आबादी (1993-94) का एक तिहाई हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे और करीब एक तिहाई उससे ऊपर किंतु निम्न आय वर्ग में है, हम कह सकते हैं कि 60 वर्ष से ऊपर की दो-तिहाई आबादी आर्थिक रूप से कमजोर है। अत: वृद्धावस्था में एक स्तर की आर्थिक सुरक्षा के लक्ष्य को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। विभिन्न आय वर्ग के लोगों की सुरक्षा हेतु नीतिगत साधन विकसित किए जाएंगे।

25. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बूढ़े लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन मददगार साबित होती है। इस योजना का विस्तार किया जाएगा। जनवरी सन् 1997 को आधार मानकर 27.6 लाख (2.76 मिलियन) लोगों को मिलने वाली यह सहायता अब गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कुल वृद्ध जनों को मिलेगी। साथ ही लोगों के चयन एवं पेंशन वितरण संबंधी अनियमितता को दूर करना अनिवार्य होगा। एक उचित अंतराल पर

मासिक पेंशन का संशोधन जरूरी होगा ताकि मुद्रास्फीति का बुरा असर वास्तविक क्रय क्षमता पर नहीं पड़े। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 60 वर्ष से अधिक के सभी लोगों तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली पहुंचेगी।

26. सरकारी, अर्ध सरकारी एवं उद्योगों में कार्यरत लोगों को उनकी भविष्य-निधि में संचित राशि पर अच्छी रकम मिलनी चाहिए। इसके लिए इस निधि की राशि का विवेकपूर्ण एवं सुरक्षित निवेश अनिवार्य है। इससे संबंधित मामलों पर सावधानीपूर्वक विचार होगा। पेंशन, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी एवं अवकाश संबंधी अन्य लाभों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा जिससे सेवा निवृत लोगों को प्रशासकीय खामियों की वजह से कठिनाई नहीं झेलनी पड़े। अनावश्यक विलंब के लिए ज़िम्मेदारी तय की जाएगी। सेवा निवृत्त व्यक्तियों की शिकायत पर शीघ्र, उचित एवं संवेदनशील तरीके से सुनवाई होगी। पति की मृत्यु के बाद विधवाओं को मिलने वाली राशियों से संबंधित निपटान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

27. वित्तीय सुरक्षा योजनाओं में पेंशन का नाम प्राय: सबसे ऊपर है। इसके आधार को और विस्तृत करने की आवश्यकता है। पेंशन योजना को निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि गैर-सरकारी संस्थानों में तनख्वाह पाने वाले एवं स्वरोज़गार में लगे लोगों के लिए भी सुदृढ़ता से लागू करना अनिवार्य होगा। इसमें मालिकों द्वारा सहयोग का प्रावधान भी होगा। पेंशन योजना संबंधी सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है पूर्ण सुरक्षा, लचीलापन, नकदीकरण (Liquidity) एवं अधिकतम लाभ। एक सशक्त नियंत्रक प्राधिकरण की कठोर निगरानी में यह पेंशन निधि कार्य करेगी। यह प्राधिकरण निवेश का प्रतिमान बनाएगी और सशक्त सुरक्षा कवच प्रदान करेगी।

28. वृद्धावस्था में आवागमन, घर में आवश्यक सेवा एवं चिकित्सा तथा देखभाल पर होने वाले खर्च बहुत बढ़ जाते हैं। अतएव वृद्धों की वित्तीय समस्या को कम करने के लिए कर-प्रणाली को संवेदनशील बनाया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों की संस्थाएं उनके लिए उच्च 'स्टैण्डर्ड डिडक्शन' (Standard Deduction) की मांग कर रही हैं। सेवा निवृत्त हो चुके बहुत लोगों के लिए नियोक्ता की तरफ से चिकित्सकीय सुविधा का प्रावधान खत्म हो जाता है। अत: घर पर या अस्पताल में उनके उपचार पर होने वाले खर्च पर वार्षिक छूट की मांग की जा रही है। वृद्ध माता-पिता के साथ रहने वाले बेटे या बेटियों को उनकी आमदनी तथा माता-पिता के स्वास्थ्य उपचार पर आने वाले खर्च पर कर में छूट की मांग उठ रही है। कर में छूट हेतु इनके अतिरिक्त अन्य प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा।

29. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बचत की दीर्घकालीन योजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें निवेशकों को यह विश्वास दिलाना अनिवार्य होगा कि नियत अवधि के बाद जो रकम उन्हें मिलेगी वह मुद्रा के अवमूल्यन के बावजूद उनकी क्रय शक्ति पर बुरा असर नहीं पड़ने देगी। सेवारत लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि वे अपने सक्रिय वर्षों में बचत करें ताकि वृद्धावस्था में उन्हें वित्तीय सुरक्षा मिले।

30. सेवा निवृत्ति पूर्व परामर्श के कार्यक्रमों को बढ़ावा एवं सहायता दिया जाएगा।

31. सेवा निवृत्ति के बाद भी अर्थोपार्जन में लोगों की रुचि बनी रहनी चाहिए। उन्हें रोज़गार से संबंधित मार्गदर्शन, प्रशिक्षण एवं अनुकूलन तथा सहायता देने वाली संस्थाओं की मदद की जाएगी। गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा वृद्ध जनों के अर्थोपार्जन के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अधिक आयु होने की वजह से इन लोगों की साख की सीमा, विपणन के अवसर इत्यादि घट जाते हैं। परंतु इन विसंगतियों को दूर किया जाएगा। संरचनात्मक समायोजन संबंधी नीतियों का कुछ क्षेत्र के लोगों पर अधिक खराब असर पड़ सकता है। यह विशेषकर घरेलू एवं लघु उद्योगों में कार्यरत लोगों पर दिख सकता है। परंतु उनके हित की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

32. दंड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) की धारा 125 के तहत वैसे निराधार माता-पिताओं के अधिकार को मान्यता दी गई है जिनके बच्चों की आमदनी पर्याप्त है। 'द हिन्दू एडॉप्शन एण्ड मेंटेनेंस एक्ट, 1956' के तहत भी माता-पिता का यह अधिकार सुरक्षित है। हिमाचल प्रदेश की विधान सभा ने 'हिमाचल प्रदेश मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एण्ड डिपेंडेंट्स बिल, 1996' पास किया। इसका उद्देश्य सरल कार्यप्रणाली बनाना, त्वरित समाधान करना, मामलों की कार्यकारी प्रणाली स्थापित करना तथा अधिकारों एवं परिस्थितियों को संपूर्णता में परिभाषित करना था। महाराष्ट्र सरकार भी इसी नक्शे-कदम पर एक बिल बना चुकी है। अन्य राज्य भी इस तरह के कानून बनाने को प्रेरित किये जाएंगे जिससे इस तरह जीवन-निर्वाह करने में अक्षम वृद्ध माता-पिता गहन तिरस्कार एवं एकाकीपन से बच जाएं।

स्वास्थ्य की देख-भाल एवं पोषण

33. आयु बढ़ने के साथ बूढ़े लोगों को स्वास्थ्य एवं उससे संबंधित समस्याओं से जूझना पड़ता है। उनमें से कुछ जटिल एवं जड़ियायी (chronic) होती हैं। ऐसे में विकलांगता का

भय बना रहता है और निरंतर देख-भाल की आवश्यकता होती है। परिणामतः स्वावलंबन की समाप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी खासकर कार्य करने की क्षमता घटाने वाली समस्याओं की स्थिति में घर पर लंबी अवधि तक उपचार एवं देख-रेख की आवश्यकता पड़ती है।

34. बूढ़े लोगों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सस्ती एवं सुचारु स्वास्थ्य सेवा का लक्ष्य रखा जाएगा। इसमें गरीबों को विशेष रियायत दी जाएगी एवं अन्य लोगों के लिए शुल्क की विभिन्न श्रेणियां बनायी जाएंगी। जन स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य बीमा, ट्रस्ट एवं खैराती संस्थानों द्वारा बिना लाभ दी जाने वाली सेवा तथा निजी स्वास्थ्य सेवाओं का एक विवेकपूर्ण समन्वय अनिवार्य होगा। इनमें से पहले के लिए सरकार का अधिकतम सहयोग अनिवार्य है। दूसरी कोटि के लिए सरकार का बढ़ावा जरूरी है। तीसरी श्रेणी की सेवा के उत्थान के लिए कुछ सहयोग, रियायत एवं छूट की आवश्यकता होगी जबकि चौथी श्रेणी की सेवा को कुछ नियंत्रित रखकर फायदेमंद बनाया जा सकता है और यह नियंत्रण निजी सेवा प्रदान करने वाली कुछ संस्थाओं के संगठन में निहित होना चाहिए।

35. जन स्वास्थ्य सेवा का आधार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तंत्र होगा। इसे मजबूत एवं वृद्ध लोगों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जाएगा। जन स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत बीमारी की रोकथाम एवं उसका निवारण, स्वास्थ्य लाभ (restorative) तथा पुनर्वास का आधार दृढ़ एवं विस्तृत बनाया जाएगा। द्वितीय एवं तृतीय स्तर के स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में जराचिकित्सा (वयोवृद्धों की चिकित्सा) की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक व्यय की आवश्यकता होगी। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इन सेवाओं का उचित वितरण करना होगा। इन सेवाओं का उच्च स्तरीय प्रबंधन एवं आबंटन सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

36. विभिन्न आय वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य बीमा के विकास को उच्च प्राथमिकता देनी होगी। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की निवेश योजना एवं लाभ का प्रावधान होगा। निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए बनी योजनाओं पर सरकारी रियायत होगी। स्वास्थ्य बीमा के आधार को विस्तृत करने के लिए तथा सुलभ बनाने के लिए कई रियायत एवं छूट दी जाएंगी।

37. निर्धनतम वृद्ध नागरिकों के लिए अस्पतालों में निःशुल्क बिस्तर, दवाइयां एवं उपचार की व्यवस्था के लिए ट्रस्टों (न्यासों), खैराती संस्थानों एवं स्वैच्छिक

संस्थाओं को अनुदान, कर में राहत तथा रियायती दरों पर जमीन के रूप में सहायता एवं बढ़ावा दिया जाएगा। इन जगहों पर अन्य लोगों को सेवार्थ उचित शुल्क देना होगा।

38. विगत वर्षों में निजी चिकित्सकीय सेवा का विस्तार हुआ है। अब आधुनिकतम चिकित्सकीय सुविधा खर्च साध्य हो गया है। जिन अस्पतालों को भूमि एवं अन्य सुविधाएं बाजार-दर से कम मूल्य पर दी जाती हैं, उनके प्रबंधकों को निर्देश दिया जाएगा कि वे वृद्ध मरीज़ों को रियायत दें। निजी पेशे में लगे सामान्य चिकित्सकों को जराचिकित्सा में अनुकूलन का अवसर दिया जाएगा।

39. सार्वजनिक अस्पतालों को ऐसा निर्देश दिया जाएगा कि वहां जाने वाले वृद्ध मरीज़ों को अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़े। उपचार एवं विभिन्न परीक्षणों के लिए उन्हें विभिन्न काउन्टरों पर नहीं जाना पड़े। प्रयास यह होगा कि नियत दिनों में सुविधाजनक समय पर ऐसे मरीज़ों के लिए अलग काउन्टर बने। जराचिकित्सा वार्ड भी बनाये जाएंगे।

40. प्राथमिक, माध्यमिक (Secondary) एवं उच्च (tertiary) स्वास्थ्य सेवा में संलग्न चिकित्सकीय एवं परा-चिकित्सकीय कर्मचारियों के लिए वृद्ध लोगों की स्वास्थ्य सेवा हेतु प्रशिक्षण एवं अनुकूलन कार्यक्रम चलाया जाएगा। चिकित्सा महाविद्यालयों में जराचिकित्सा के विशेष पाठ्यक्रम बनाए जाएंगे। उपचर्या प्रशिक्षण के अंतर्गत वयोवृद्धों की सेवा का पाठ दिया जाएगा। दूरी, सहचर का अभाव एवं यातायात की असुविधा वृद्ध जनों को स्वास्थ्य सेवा की पहुंच से परे रखती है। जन स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचने में आने वाली बाधा को दूर करने हेतु खैराती संस्थानों के लिए मोबाइल स्वास्थ्य सेवा, विशेष शिविर एवं एम्बुलेंस सेवा का प्रावधान किया जाएगा। ये सुविधाएं लाभ के लिए कार्यरत अस्पतालों को नहीं मिलेंगी। अस्पतालों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे एक पृथक 'कल्याण कोष' बनायें जिसमें निर्धन वृद्धों के नि:शुल्क उपचार एवं दवाइयों के लिए चंदा एवं अनुदान स्वीकार किये जा सकें।

41. चिरकालिक बीमारी से ग्रस्त बहुत से बूढ़े लोगों को परिवार का आश्रय नहीं प्राप्त है। उनके लिए आश्रमों की आवश्यकता है। ऐसे आश्रमों को सरकारी सहायता, सार्वजनिक दान एवं स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा सहयोग दिया जाएगा। गंभीर बीमारी से ग्रस्त, लंबी अवधि तक सार्वजनिक अस्पतालों में असहाय रहने वाले वृद्ध जनों की देख-रेख हेतु भी इन आश्रमों की आवश्यकता है।

42. वृद्ध जनों द्वारा खुद की देखभाल के संबंध में निर्देश पुस्तिका बनाई जाएगी। वयोवृद्धों की सेवा में जुटी संस्थानों द्वारा उनकी छपाई एवं वितरण का कार्य होगा। इसमें सरकार सहयोग करेगी। ऐसे लोगों के स्वास्थ्य एवं परिचर्या संबंधित सुगम 'गाइड' का निर्माण एवं वितरण उन लोगों के लिए भी किया जाएगा जो परिवारों में देखभाल का जिम्मा लेते हैं।

43. वृद्धावस्था में पोषण संबंधी जानकारी देने वाले माध्यमों को बूढ़े लोगों एवं उनके परिवार जनों के बीच पहुंचाया जाएगा। 'क्या खाया जाए, क्या नहीं....?' इस बात की सूचना भी दी जाएगी। विभिन्न क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य एवं स्वाद को ध्यान में रखते हुए आहार व्यवस्था बनाई जाएगी। ये पारिवारिक एवं सामुदायिक पसंद के अनुरूप होंगे और आसपास में उपलब्ध सब्जियों, अन्न एवं फलों से बनने वाले ये आहार महंगे भी नहीं होंगे।

44. स्वस्थ वृद्धावस्था की परिकल्पना को बढ़ावा दिया जाएगा। वृद्ध जनों एवं उनके परिवारों को इस बात की शिक्षा दी जाएगी कि महज आयु का बढ़ना बीमारी को न्यौता देना नहीं है और न ही बुढ़ापे की कोई खास अवस्था से स्वास्थ्य का ह्रास हो, ऐसा अनिवार्य है। इसके विपरीत अब बीमारियों की रोकथाम एवं उचित समय पर निदान से लोग अधिक आयु में भी काफी स्वस्थ रह सकते हैं और विकलांगता से बच सकते हैं।

45. स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रमों को दृढ़ता से लागू किया जाएगा। देश के कोने-कोने में लोगों तक इसे पहुंचाने के लिए जन माध्यम, लोक माध्यम तथा संचार के अन्य साधनों का उपयोग किया जाएगा। बीमारियों से लड़ने की क्षमता एवं घरेलू देखभाल के प्रबंधन पर बल दिया जाएगा। युवाओं एवं मध्यावस्था के लोगों को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे कार्यक्रमों का विकास किया जाएगा जिनमें उन्हें सचेत किया जाएगा कि प्रारंभिक जीवन की गलत जीवन-शैली का प्रभाव किस तरह बाद में हानिकारक हो सकता है। पूरी जिंदगी स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक संदेश दिया जाएगा। संतुलित आहार, शारीरिक व्यायाम, नियमित आदतें, तनाव में कमी, नियमित चिकित्सकीय परामर्श, फुरसत एवं मनोरंजन हेतु समय तथा शौकिया कार्यों के महत्व बताए जाएंगे। योग, ध्यान एवं विश्राम के तरीके विकसित किए जाएंगे और उन्हें संचार के विभिन्न माध्यमों द्वारा समाज के भिन्न वर्गों में पहुंचाया जाएगा।

46. मनोचिकित्सा सेवा का आधार विस्तृत एवं दृढ़ बनाया जाएगा। मनोविकार से पीड़ित वृद्ध लोगों की देखभाल एवं उपचार के लिए उनके परिवारजनों को परामर्श एवं सूचना संबंधी सेवाएं उपलब्ध करायी जाएंगी।

47. सरकार के प्रयासों को पूर्णतया सफल बनाने के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं को प्रेरित किया जाएगा। उन्हें अनुदान दिया जाएगा। उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षित एवं अनुकूलित किया जाएगा। उनको 'चल स्वास्थ्य सेवा', दिनभर की देख-रेख (डे केयर) एवं अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए रियायत एवं छूट दी जाएंगी।

आवास

48. आवास मानव की मौलिक आवश्यकता है। विभिन्न आय-वर्ग के लोगों के लिए घरों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। निम्न आय वर्ग के शहरी एवं ग्रामीण लोगों के लिए बनी आवास योजना में बूढ़े लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण रहेगा। आवंटन में यह आरक्षण घरों एवं गृह निर्माण हेतु भूमि दोनों के लिए होगा। इंदिरा आवास योजना एवं इस तरह की अन्य सरकारी योजनाएं भी इसमें शामिल होंगी। रोजगार में लगे लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि वे कमाने के दिनों में ही आवास व्यवस्था में निवेश करें ताकि वृद्धावस्था में उन्हें आवास की समस्या नहीं हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गृह निर्माणार्थ शहरी भूमि का त्वरित विकास करना होगा। जन सुविधाओं तथा संचार माध्यमों का समयबद्ध प्रावधान करना होगा। उचित दर पर ऋण की उपलब्धि एवं उसकी किस्तों के सुलभ भुगतान की व्यवस्था करनी होगी। इसके अतिरिक्त करों में राहत तथा निर्माण का समयबद्ध कार्यक्रम तय करना होगा। आवास विकास योजना में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का सम्मिलित प्रयास अपेक्षित है। इसके अलावा आवास विकास समितियों, जन सुविधाओं हेतु बने प्राधिकरणों, आवास हेतु वित्तीय संस्थानों, और विनिर्माण एवं विकास क्षेत्र में लगे निजी संस्थानों की भागीदारी भी जरूरी है। घर खरीदने एवं बड़ी मरम्मत के लिए बूढ़े लोगों को आसान किस्तों पर ऋण उपलब्ध होगा।

49. आवासीय कॉलोनियों को बूढ़े लोगों की जीवन-शैली के अनुरूप बनाना होगा। इसका ध्यान रखना होगा कि उनके आवागमन में कोई बाधा नहीं पड़े। शॉपिंग कॉम्पलेक्स, सामुदायिक भवन, बागीचे उनके लिए सुगम होने चाहिए। उनके लिए अन्य सेवाओं को सुरक्षित एवं सुलभ होना अनिवार्य है। बूढ़े लोगों के लिए एक बहु-उद्देश्यीय केंद्र

भी अनिवार्य है जहां वे आपस में मिलजुल सकें और अन्य आवश्यकताएं पूरी कर सकें। अत: यह अनिवार्य होगा कि सभी आवास कॉलोनियों में ऐसे केंद्रों के लिए जगह बनायी जाए। परंतु इन कॉलोनियों में बूढ़े लोगों को अलग-थलग रखना अनुचित होगा। इससे समुदाय के अन्य लोगों से उनका मेल-जोल घटेगा। तीन-चार मंजिलों वाले 'लिफ्ट' रहित मकान तो ऐसे लोगों की परेशानी बढ़ा देते हैं। लोग घरों के अंदर सिमटकर रह जाते हैं और एकाकीपन का शिकार हो जाते है। और विभिन्न सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। अत: भूमि-तल पर बने 'फ्लैटों' के आवंटन में बूढ़े लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।

50. छोटे-छोटे फ्लैटों वाले सामुहिक आवास का निर्माण किया जाएगा। वृद्ध लोगों के लिए बनने वाले इन आवासों में भोजन, लाउण्ड्री, मनोरंजन एवं विश्राम के लिए सामुहिक व्यवस्था की जाएगी। अन्य सामुदायिक एवं सांस्कृतिक कार्य, चिकित्सा एवं मनोरंजन केंद्र निकट ही बनाए जाएंगे। पार्क भी बनाए जाएंगे।

51. वास्तुकारों तथा आवास प्रबंध एवं नगर योजना में संलग्न लोगों के शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुकूलन में बूढ़े लोगों के आरामदेह एवं सुरक्षित जीवन की आवश्यकता पर विशेष पाठ्य-सामग्री (module) होगी।

52. दुर्घटना से बचाव संबंधी तथ्यों की जानकारी बूढ़े लोगों एवं उनके परिवारजनों को उपलब्ध करवाई जाएगी। वृद्धावस्था में बीमारी एवं शरीरिक क्षमता के ह्रास के मद्देनजर सुरक्षा के अतिरिक्त उपाय भी सुझाए जाएंगे।

53. ध्वनि एवं अन्य प्रदूषणों का बुरा असर बच्चों, वृद्धों एवं रोगियों पर अधिक पड़ता है। इसे नियंत्रित रखने के लिए नियम बनाए जाएंगे एवं कठोरता से उन्हें लागू किया जाएगा।

54. नागरिक प्राधिकरणों एवं जनोपयोगी सेवाओं के लिए बनी संस्थाओं से यह अपेक्षित होगा कि वे सर्वप्रथम बूढ़े लोगों की शिकायतों का निपटारा करें। इनके लिए दिए जाने वाली शुल्कों की भुगतान व्यवस्था सरल बनायी जाएगी। संपत्ति के हस्तांतरण, परिवर्तन, संपत्ति कर एवं अन्य मामलों के शीघ्र निपटान में वृद्ध जनों को वरीयता दी जाएगी। इन मामलों में तंग करने एवं दुर्व्यवहार पर नियंत्रण किया जाएगा।

55. बूढ़े लोगों की शिक्षण, प्रशिक्षण एवं सूचना संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। असल में अब तक इन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अत: इन लोगों की ज़िंदगी से संबंधित सूचना एवं शिक्षण सामग्री का विकास किया जाएगा। और उसे जन-माध्यमों एवं अनौपचारिक संचार प्रणालियों द्वारा जन-जन में फैलाया जाएगा।

56. शिक्षण, प्रशिक्षण (training) एवं अनुकूलन के अवसर में वृद्ध लोगों के साथ यदि कोई भेद-भाव हुआ तो उसे दूर किया जाएगा। शिक्षा कार्यक्रमों की निरंतरता को प्रोत्साहित किया जाएगा। उनके लिए सहायता दी जाएगी। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत रोज़गार-विकास, अवकाश का रचनात्मक उपयोग, कला, संस्कृति एवं सामाजिक परंपराओं की समझ-बूझ जैसी बातों का समावेश होगा। इनके अतिरिक्त सामुदायिक एवं कल्याणकारी कार्यों को संपादित करने के तरीके भी बताए जाएंगे। संबंधित पाठ्य-सामग्री के निर्माण में मुक्त विश्वविद्यालयों का सहयोग लिया जाएगा। इसमें दूरवर्ती (distance) शिक्षण तकनीक का इस्तेमाल होगा। विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों, विभिन्न शोध संस्थानों तथा सांस्कृतिक केंद्रों में बूढ़े लोगों के प्रवेश को सरल बनाया जाएगा।

57. विधिवत एवं अनौपचारिक दोनों ही शिक्षा के सभी स्तरों पर बनाए जाने वाले पाठ्यक्रमों में उन सामग्रियों का समावेश होगा जो दो पीढ़ियों के बीच के बंधन को तथा आपसी सहयोग को मजबूत बनाएंगी। शैक्षणिक संस्थानों एवं वृद्ध लोगों के बीच वार्ता का संबंध कायम किया जाएगा। इस प्रकार विज्ञान, कला, पर्यावरण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक धरोहर, खेल, व्यावसायिक एवं अन्य ज्ञान से परिपूर्ण बूढ़े लोग बच्चों एवं युवाओं के साथ परस्पर संबंध बना सकेंगे। विद्यालयों को प्रोत्साहन एवं सहयोग दिया जाएगा ताकि वे वृद्ध लोगों के साथ अन्योन्याश्रय संबंध बनाने के लिए नियमित कार्यक्रम बनाते रहें, वरिष्ठ नागरिक केंद्रों को संचालित करने में मदद करें तथा ऐसे लोगों में सक्रियता बनाए रखें।

58. हर उम्र के लोगों को, सभी परिवारों एवं समुदायों को बुढ़ापे की प्रक्रिया से संबंधित सूचनाएं दी जाएंगी। जीवन चक्र के विभिन्न चरणों पर लोगों की बदलती भूमिका, उनके दायित्व तथा परस्पर संबंधों पर चर्चा होगी। घर के अंदर एवं बाहर होने वाले वृद्ध लोगों के योगदान को मीडिया एवं अन्य मंचों से प्रचारित किया जाएगा तथा उनकी नकारात्मक छवि, उनके संबंध में दुष्प्रचारित मिथक एवं घिसी-पिटी बातों को गलत साबित किया जाएगा।

59. कल्याणकारी कार्यक्रम की प्राथमिकता होगी ऐसे नि:सहाय वृद्धों की पहचान जो गरीब, विकलांग, रोगी अथवा जटिल रोग से ग्रस्त हैं और जिन्हें परिवार का सहयोग भी प्राप्त नहीं है। ऐसे लोगों को प्राथमिकता के आधार पर कल्याणकारी सेवाएं दी जाएगी। कल्याणकारी नीति के अंतर्गत सांस्थानिक देखभाल को तब अपनाया जाएगा जब उनको वृद्धाश्रम में रहने के अलावा कोई चारा न हो।

60. बूढ़े लोगों एवं उनके परिवार जनों को कठिन परिस्थिति से जूझने में सक्षम बनाने के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली गैर-संस्थागत सेवाओं को प्रोत्साहन एवं सहयोग दिया जाएगा। आज यह अनिवार्य हो गया है क्योंकि परिवारों में देखभाल के लिए पूरा समय कोई नहीं दे पाता है। दरअसल परिवारों का आकार छोटा हो गया है तथा महिलाएं भी बाहर काम करती हैं। सहायक सेवाएं, घर में देखभाल की जिम्मेदारी को बांटकर लोगों को कुछ राहत देंगी।

61. वृद्धाश्रमों के निर्माण एवं रखरखाव के लिए स्वैच्छिक संस्थानों को सहायक अनुदान दिए जाएंगे। गरीबों के लिए बनने वाले इन आश्रमों पर विशेष रियायत दी जाएगी। यह जरूरी है कि ये आश्रम निवास हेतु अपनी जीवंतता बनाए रखें। इनके निवासियों का बाहरी दुनिया से संपर्क बना रहे। जीवन के इस मोड़ पर खड़े बूढ़े लोगों के सामुहिक जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए जाने वाले वृद्धाश्रमों की रूपरेखा बनाने में विशेषज्ञों की राय लेने के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं को प्रेरित किया जाएगा। इसमें उपभोक्ताओं की हैसियत का ध्यान रखा जाएगा। ऐसे आश्रमों में सेवा का एक न्यूनतम स्तर कायम किया जाएगा और उनके कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण एवं अनुकूलन का प्रावधान किया जाएगा।

62. स्वैच्छिक संस्थाओं को बहु-उद्देशीय नागरिक केंद्रों को खोलने के लिए प्रोत्साहन एवं सहयोग मिलेगा। उन्हें दिवा देखभाल (डे केयर) तथा संबंधित सेवा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वे विकलांगता से लड़ने वाले उपकरण न केवल उन लोगों तक पहुंचाएंगे बल्कि उनके प्रयोग-विधि भी सिखाएंगे। इन सब के अलावा कुछ समय के लिए लोगों के घर जाकर मित्रवत उनकी सेवा भी की जाएगी। इसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग अपेक्षित है। खुद पर आश्रित बूढ़े दंपत्तियों एवं अन्य लोगों के लिए 'हेल्पलाइन' तथा टेलीफोन पर उपलब्ध सेवा को बढ़ावा मिलेगा। उन्हें दोस्तों, रिश्तेदारों एवं पड़ोसियों से संपर्क बनाए रखने में पूरी

मदद की जाएगी। स्वैच्छिक संस्थाओं को इस बात के लिए बढ़ावा एवं सहयोग मिलेगा कि वे ऐसे लोगों को अस्पताल, शॉपिंग-कॉम्पलेक्स एवं अन्य स्थानों पर ले जाने में सहयोग करें। बूढ़े लोगों को भी पड़ोस में अपने अनौपचारिक समूह बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस तरह सामाजिक गपशप, मनोरंजन एवं अन्य गतिविधियों से संबंधित उनकी आवश्यकताएं पूर्ण होगी। गांवों अथवा पड़ोसों के वर्गों के लिए वरिष्ठ नागरिकों का मंच बनाने को प्रोत्साहित किया जाएगा।

63. बूढ़े लोगों के लिए एक कल्याण कोष बनाया जाएगा। इसमें सरकार, निगमित-क्षेत्र (corporate section), ट्रस्ट, खैराती संस्थान, व्यक्ति विशेष एवं अन्य सहयोग करेंगे। इस निधि में योगदान पर कर में राहते मिलेंगी। राज्यों द्वारा ऐसे कोषों की स्थापना अपेक्षित है।

64. कल्याणकारी कार्यों के लिए कई प्रकार की व्यवस्थाओं की आवश्यकता महसूस की गई है। सरकारी, स्वैच्छिक एवं निजी तीनों क्षेत्रों की सेवा आवश्यक है। इसमें निजी क्षेत्र की सेवा उन लोगों के लिए है जिनके पास साधन हैं और जिन्हें उच्च स्तरीय देखभाल चाहिए।

जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा

65. बूढ़े लोग अपराधी तत्वों के सहज निशाने बन गए हैं। वे फर्जी लेन-देन के शिकार भी बन जाते हैं। अपने मालिकाना अधिकारों को छोड़ने के लिए घरों के अंदर भी उनके परिवार वाले उन्हें शारीरिक एवं मानसिक यातना देते हैं। उत्तराधिकार, विक्रय (disposal) एवं भोगाधिकार जैसे अधिकार भी कई बार विधवाओं से उनके अपने बच्चे एवं संबंधी छीन लेते हैं। अत: यह जरूरी है कि बूढ़े लोगों को सुरक्षा प्राप्त हो। ऐसे लोगों को पारिवारिक हिंसा से बचाने के लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) में किए जाने वाले विशेष प्रावधान पर विचार होगा और ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए एक प्रणाली बनाई जाएगी। किरायेदारी के विधानों की पुनर्समीक्षा होगी ताकि बेदखल बूढ़े लोगों को उनका अधिकार तुरंत वापस मिल सके।

66. वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए उनके संगठनों एवं स्वैच्छिक संस्थानों को सहायता दी जाएगी। इसके लिए हेल्पलाइन सेवा, कानूनी सलाह एवं अन्य उपाय किए जाएंगे।

67. पुलिस को यह निर्देश होगा कि वह बूढ़े दंपतियों एवं अकेले रहने वाले बूढ़े लोगों पर मित्रवत निगरानी रखे तथा उन्हें पड़ोसियों के संगठनों के संपर्क में रहने की बात कही जाएगी। आजकल फोन पर पड़ोसियों, मित्रों एवं रिश्तेदारों से संपर्क रखना महत्वपूर्ण है। इसकी जानकारी एवं ऐसा करने की सलाह बूढ़े लोगों को दी जाएगी। उन्हें अनाधिकृत लोगों के प्रवेश रोकने के उपाय बताए जाएंगे। घरेलू नौकर रखने से पहले बरती जाने वाली सावधानियों पर सुझाव दिए जाएंगे। घर की देख-रेख एवं मरम्मत के लिए आने वाले लोगों के संबंध में तथा फेरीवालों के संबंध में भी सावधान किया जाएगा। रुपये-पैसे एवं कीमती सामानों की हिफाजत के लिए सुझाव दिए जाएंगे।

कार्य के अन्य क्षेत्र

68. कार्य के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सरकार का सकारात्मक रुख जरूरी है ताकि सरकारी नीतियां एवं कार्यक्रम बूढ़े लोगों के प्रति संवेदनशील हों। इनमें प्रशासन द्वारा पहचान-पत्र जारी करना; सभी प्रकार के यातायात में भाड़े में छूट; स्थानीय सार्वजनिक यातायात में वृद्धों के लिए जगह का आरक्षण (प्राथमिकता में); सार्वजनिक यातायात की गाड़ियों में सुलभ प्रवेश एवं निर्गमन के लिए आवश्यक परिवर्तन; जेब्रा क्रासिंग पर ट्रैफिक नियमों का कठोरता से पालन, ताकि बूढ़े लोग आसानी से सड़क पार कर सकें; गैस एवं टेलिफोन कनेक्शन में तथा मरम्मत के कामों में वृद्धों को प्राथमिकता; उनके सहज आवागमन के लिए अवरोधों (बैरियरों) में कमी; अवकाश एवं मनोरंजन, कला एवं संस्कृति एवं पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रवेश शुल्क दर में कमी जैसे मामले हैं।

69. फर्जी लेन-देन, ठगी एवं अन्य मामलों में बूढ़े लोगों की शिकायतों का शीघ्र निपटारा उन्हें बहुत हद तक राहत दिलाएगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनी प्रणाली को सुचारु बनाया जाएगा।

70. 'राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस' पर वृद्धजनों से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला जाएगा। सन् 2000 को "राष्ट्रीय वृद्धजन वर्ष" घोषित किया गया था। विभिन्न संस्थाओं की सहायता से उस वर्ष की गतिविधियों की योजना बनाई गई एवं उनका कार्यान्वयन किया गया।

71. केंद्र एवं राज्य सरकारों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा वृद्धों को दी गई सुविधाओं, राहतों एवं छूटों को पुस्तिका के रूप में संकलित किया जाएगा। उन्हें बराबर अंतराल पर

संशोधित किया जाएगा तथा विस्तृत प्रचार-प्रसार के लिए वृद्ध लोगों की संस्थाओं को उपलब्ध करवाया जाएगा।

गैर-सरकारी संस्थान

12. सरकार अकेले बूढ़े लोगों की हर आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती है और निजी क्षेत्र के संस्थान आबादी के सिर्फ एक छोटे संपन्न वर्ग का ध्यान रखते हैं। इसलिए इस दिशा में सरकार के प्रयासों को पूर्ण बनाने में गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ) की भूमिका महत्वपूर्ण है। हमारी राष्ट्रीय नीति भी इस बात को मानती है। ये गैर-सरकारी संगठन वस्तुत: लोगों को कम कीमत पर सुविधाएं उपलब्ध कराते है।

13. स्वैच्छिक प्रयासों को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्हें बड़े पैमाने पर सहायता दी जाएगी। राज्य के अंदर और कई राज्यों के स्वैच्छिक प्रयासों की वर्तमान असमता को दूर किया जाएगा। गैर-सरकारी संगठनों के साथ बुढ़ापे से संबंधित मामलों पर एवं ऐसे लोगों के सेवार्थ द्विपक्षीय वार्ता निरंतर जारी रहेगी। विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों का एक तंत्र (network) बनाया जाएगा। उसमें सूचना के आदान-प्रदान तथा पारस्परिक संबंध को बरकरार रखा जाएगा। लोगों के प्रशिक्षण एवं अनुकूलन के अवसर बढ़ाए जाएंगे। सरल कार्यप्रणाली, पारदर्शिता, दायित्व तथा स्वैच्छिक संस्थाओं को समय पर अनुदान, सेवा में सुधार लाएंगे। सहायक अनुदान देने की नीति संस्थानों को प्रेरित करेगी कि वे अपना संसाधन भी जुटाए। इस प्रकार वे लंबे समय तक सेवा प्रदान करने के लिए मात्र सरकारी अनुदान पर निर्भर नहीं रहेंगे।

14. न्यासों, खैराती संस्थानों, धार्मिक संस्थानों एवं अन्य दानकर्ताओं को प्रेरित किया जाएगा कि वे अपने दान का क्षेत्र विस्तृत करके वृद्धों को सेवाएं प्रदान करें। इसके लिए उन्हें बुढ़ापे से संबंधित मामलों में शामिल किया जाएगा।

15. बूढ़े लोगों को संगठित होकर अपने वरिष्ठ साथियों की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें उनकी व्यावसायिक सूझ-बूझ, प्रवीणता एवं संपर्कों का इस्तेमाल होगा। उनका advocacy के जन-मत एवं संसाधन जुटाने के एवं सामुदायिक कार्यों के संपादन के मामलों में सहायता दी जाएगी।

16. स्वैच्छिक कार्यक्रमों के संचालन के लिए सहायता दी जाएगी जिससे बूढ़े लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। वे सामुदायिक क्रियाकलापों में भाग ले सकेंगे तथा लोगों की समस्याओं का हल ढूंढ सकेंगे। वयोवृद्धों की समस्याओं से निपटने के लिए स्वयं सेवकों

को प्रशिक्षण एवं अनुकूलन का अवसर दिया जाएगा। उन्हें इस क्षेत्र में होने वाले विकासों से अवगत रखा जाएगा ताकि वे सक्रिय बुढ़ापे को बढ़ावा दे सकें। घर की चारदीवारी में कैद बुजुर्गों - खासकर वृद्ध एवं कमज़ोर महिलाओं, का अकेलापन खत्म करने के लिए स्वयंसेवकों को प्रोत्साहन एवं सहयोग दिया जाएगा।

77. मजदूर एवं मालिकों के संघों तथा अन्य व्यावसायिक संस्थानों से आग्रह किया जाएगा कि वे अपने सदस्यों के लिए वृद्धावस्था के मुद्दे पर संवेदनशील कार्यक्रमों का आयोजन करें। साथ ही सेवा-निवृत्त लोगों के लिए विभिन्न सेवाओं का आयोजन करें तथा उन्हें बढ़ावा दें।

संभावना का विकास

78. राष्ट्रीय नीति यह मानती है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की ज़िंदगी एक ऐसी विशाल मानव संपदा है जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। अत: इस अपार संभावना को साकार करने के अवसर बनाए जाएंगे। ऐसे लोगों को इस लायक बनाया जाएगा कि वे उपयुक्त कार्य चुन सकें।

79. घरों में बूढ़े लोग - खासकर महिलाएं, बहुत उपयोगी काम करते हैं। परंतु उनकी प्रशंसा नहीं होती। इसलिए यह प्रयास किया जाएगा कि घर के सदस्य बूढ़े लोगों के योगदान को सराहें। उनकी अहमियत समझें। विशेषकर जब महिलाएं भी घर से बाहर काम करती हैं तब यह ज़रूरी हो जाता है। संचार के विभिन्न माध्यमों द्वारा बूढ़े लोगों के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए जाएंगे तथा उन्हें प्रसारित किया जाएगा ताकि वे अपने ज्ञान को आधुनिक एवं उच्च कोटि का बना सकें। इन कार्यक्रमों की सहायता से वे वर्तमान संदर्भ में परंपराओं का समावेश कर सकेंगे तथा अपनी सामाजिक एवं सांस्कृतिक विरासत को पोते-पोतियों तक प्रभावी ढंग से संप्रेषित कर सकेंगे।

परिवार

80. भारत में परिवार आज भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था है। यह बूढ़े लोगों की सामाजिक सुरक्षा का सबसे ठोस अनौपचारिक प्रबंध है। बूढ़े लोगों के लिए जब स्वतंत्र जीवनयापन कठिन हो जाता है तो उनमें से अधिकांश अपने एक या अधिक बच्चों के साथ रहने लगते हैं। साथ रहने की यह व्यवस्था उन्हें सबसे अधिक भाती है। वे भावात्मक रूप से भी अधिक संतुष्ट रहते हैं। अत: यह ज़रूरी है कि पारिवारिक

सहयोग की परंपरा बनी रहे और परिवारों को अपने इस दायित्व के निर्वाह के लिए बाहरी सहायता भी मिले।

81. पारिवारिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम बनाए जाएंगे। इनके जरिए युवाओं को दो पीढ़ियों के बीच के संबंधों को दृढ़ बनाने की आवश्यकता एवं अनिवार्यता के प्रति संवेदनशील बनाया जाएगा। संतानों को उनके कर्तव्यों की आवश्यकता एवं उसे निरंतर बनाए रखने की बात इन कार्यक्रमों के माध्यम से बतायी जाएगी। देखभाल एवं परस्पर लगाव के मूल्यों का संवर्धन किया जाएगा। इसके लिए सामाजिक व्यवस्था को इस तरह ढालना होगा कि वृद्ध माता-पिता की देखभाल में विवाहित बेटियां भी सहजता से हाथ बंटा सकें। आज के बदलते परिवेश में जब लोगों के सिर्फ एक या दो बच्चे होते है या फिर सिर्फ बेटियां होती हैं, यह अनिवार्य हो जाता है। आज जबकि बेटियां भी पुश्तैनी संपत्ति में बराबर का अधिकार रखती हैं, उन्हें भी माता-पिता की देखभाल में बेटों का हाथ बंटाना चाहिए। इस बात का ज्ञान विशेषकर उनके ससुराल वालों में होना जरूरी है और फिर माता-पिता के प्रति बेटियों का भावनात्मक लगाव का ध्यान रखना ससुराल वालों का भी दायित्व बनता है।

82. माता-पिता के साथ रहने के लिए बच्चों को विभिन्न प्रोत्साहन दिए जाएंगे। उन्हें कर में राहत, चिकित्सकीय व्यय में छूट तथा घरों के आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि वे अपने कमाई के दिनों में ही लंबी अवधि की बचत योजनाओं तथा स्वास्थ्य बीमा में निवेश करें ताकि बाद में वे परिवार पर वित्तीय बोझ नहीं बन जाए। बूढ़े लोगों के घर पर या उनके समुदाय में जाकर सेवा प्रदान करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को भी प्रोत्साहन एवं सहयोग दिया जाएगा। बूढ़े लोगों का लघु-अवधि के लिए अन्यत्र ठहरने का प्रबंध किया जाएगा ताकि उनके परिवारजनों को कुछ अवकाश मिले। परिवार के आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए परामर्श प्रक्रिया को भी मजबूत बनाया जाएगा।

अनुसंधान

83. वृद्धों से संबंधित विस्तृत आंकड़े (good data base) आज महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसलिए वृद्धावस्था पर अधिक अनुसंधान की आवश्यकता होगी। विश्वविद्यालयों, चिकित्सा-महाविद्यालयों एवं शोध संस्थानों को वृद्धों से संबंधित अध्ययन एवं जराचिकित्सा केंद्र खोलने के लिए सहायता दी जाएगी। निगमित संस्थानों, बैंकों, न्यासों एवं धर्मार्थ बने संस्थानों से आग्रह किया जाएगा कि वे विश्वविद्यालयों एवं

चिकित्सा-महाविद्यालयों में इन शास्त्रों की पढ़ाई के लिए पद (Chair) सर्जित करें। बुढ़ापे पर शोध परियोजना चलाने के लिए शैक्षिक संस्थानों को वित्तीय सहयोग दिया जाएगा। सेवा-निवृत्त वैज्ञानिकों को सुविधाएं दी जाएगी ताकि उनके ज्ञान का उपयोग पुन: किया जा सके।

84. शोध पर एक अंतर्शैक्षणिक समन्वय समिति बनाई जाएगी। आंकड़ों को संग्रहित करने वाली संस्थाओं से आग्रह किया जाएगा कि वे 603 वर्ष एवं उससे ऊपर आयु के लोगों की एक अलग श्रेणी बनायें। 'जेरांटोलॉजिस्ट' के पेशेवर संगठनों को सहायता दी जाएगी ताकि वे शोध कार्य को मजबूत बनाने में सहायक हों तथा उनसे निकलने वाले तथ्यों को प्रसारित करने में मदद करें। ये द्विपक्षीय वार्ता, विचार विनिमय, वाद-विवाद एवं सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक मंच भी उपलब्ध करायेंगे।

85. शोध, प्रशिक्षण एवं प्रलेखन (documentation) के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया गया है। देश के विभिन्न भागों में संसाधन केंद्रों को स्थापित करने के लिए सहायता दी जाएगी।

श्रम-शक्ति का प्रशिक्षण

86. सरकार की नीति के अनुसार प्रशिक्षित श्रम- शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जराचिकित्सा के विशेष अध्यापन के लिए चिकित्सा महाविद्यालयों को सहायता दी जाएगी। नर्सिंग एवं अर्द्ध चिकित्सकीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण संस्थानों को चाहिए कि वे अपने शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में जराचिकित्सा से संबंधित परिचर्या पर विशेष पाठ्यक्रम का समावेश करें। कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा जहां उन्हें इस तरह की सेवा के लिए अनुकूल बनाया जाएगा। इसके अलावा पाठ्य सामग्री एवं पाठ्यक्रम के विकास के लिए भी सहायता दी जाएगी। 'स्कूल ऑफ सोशल वर्क' एवं विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों को वृद्धों से संबंधित मामलों पर अधिक ध्यान देने, सेवार्थ आयोजनों को पाठ्यक्रम में शामिल करने और सकारात्मक मध्यस्थता की आवश्यकता है। गैर-सरकारी संस्थानों में कार्यरत लोगों को बूढ़े लोगों की सेवा के लिए प्रशिक्षण एवं अनुकूलन के लिए अवसर एवं सहयोग दिया जाएगा। प्रशिक्षकों के आदान-प्रदान की व्यवस्था भी की जाएगी।

87. विभिन्न स्तर के विधायी, न्यायिक एवं कार्यकारी प्रभागों के लिए वृद्धावस्था से संबंधित सुग्राह्य कार्यक्रम (sensitisation programme) बनाने के लिए और उसके विकास के लिए सहायता दी जाएगी।

88. बूढ़े लोगों की बदलती परिस्थिति, उससे उठते सवाल एवं संबंधित कार्य क्षेत्रों की जानकारी को जन-मानस तक पहुंचाने के लिए संचार माध्यमों की भूमिका महत्वपूर्ण है। हमारी राष्ट्रीय नीति इसे स्वीकार करती है। ये माध्यम वृद्धावस्था में सक्रिय जीवन की धारणा को बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही ज़िंदगी के इस पड़ाव से संबंधित रूढ़ियों एवं गलत छवि को दूर करने में सहायक होंगे। ये पीढ़ियों के बीच के बंधन को दृढ़ बनाने में सहायक होंगे। वृद्धावस्था की प्रक्रिया की अच्छी समझ एवं उससे उत्पन्न समस्याओं को दूर करने के उपाय से संबंधित शैक्षणिक सामग्री जुटाने में भी इन माध्यमों का योगदान होगा। इससे परिवार एवं समुदाय के लोग लाभान्वित होंगे।

89. इस नीति का लक्ष्य है बुढ़ापे के मसले पर जन संचार माध्यमों के साथ-साथ अनौपचारिक एवं पारंपरिक संचार माध्यमों का सहयोग प्राप्त करना। इसके लिए यह अनिवार्य होगा कि इन माध्यमों में कार्यरत लोगों को सूचना प्राप्त करने की पूरी सुविधा हो। इस प्रकार उनके पास अपने निजी स्रोतों तथा वस्तुस्थिति की जानकारी ही नहीं बल्कि सूचना के अन्य स्रोत भी होंगे। उन्हें बुढ़ापे से संबंधित अनुकूलन कार्यक्रमों में भाग लेने की सुविधा दी जाएगी। साथ ही इस क्षेत्र में सेवारत लोगों के साथ उनके परस्पर बातचीत के अवसर बढ़ाए जाएंगे।

III. कार्यान्वयन

90. बूढ़े लोगों से संबंधित राष्ट्रीय नीति के विस्तृत प्रसार के लिए एक कार्य योजना बनाई जाएगी ताकि इस नीति की मूल बातें सदैव लोगों की नज़र में बनी रहे।

91. यह नीति वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में परिवर्तन तब ही कर सकती है जब इसका कार्यान्वयन हो। यद्यपि इस मामले में सरकार एवं उसके मुख्य अंगों का मूल दायित्व बनता है, देखना यह है कि जनसाधारण एवं अन्य संस्थान किस प्रकार अपना सहयोग देकर बूढ़े लोगों की भलाई करते हैं। परंतु यह तय है कि सबका मिला-जुला प्रयास बहुत हद तक एक मानवोचित समाज का निर्माण करेगा जिसमें बूढ़े लोगों को न्यायोचित स्थान मिलेगा। इस संबंध में बूढ़े लोगों के शीर्ष संगठनों का विशेष दायित्व बनता है कि वे इस नीति के कार्यान्वयन के लिए बने कार्यक्रमों में ऊर्जा का संचार करें, जनमत संग्रह करें तथा उन पर एक दबाव बनाए रखें। उन्हें इस सबका निरीक्षण भी करना होगा।

92. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (The Ministry of Social Justice and Empowerment) ही इस नीति के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए मुख्य कड़ी (नोडल मंत्रालय) का काम करेगी। एक पृथक "वृद्धजन ब्यूरो" बनाया जाएगा। इस नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों के समन्वय एवं इसके विकास के निरीक्षण के लिए एक अंतर-मंत्रिमंडलीय समिति बनाई जाएगी। राज्यों को प्रेरित किया जाएगा कि वे बूढ़े लोगों के लिए अलग निदेशालय बनाएं तथा समन्वयन (coordination) एवं निरीक्षण की एक प्रणाली का निर्माण करें।

93. प्रत्येक मंत्रालय अपने से संबंधित मामलों के कार्यान्वयन के लिए पंचवर्षीय एवं वार्षिक कार्य योजनाएं बनाएगा। इन योजनाओं में उन प्रयासों का उल्लेख होगा जो यह सुनिश्चित करेंगे कि सामान्य एवं वृद्ध लोगों के कल्याणार्थ चलाए जाने वाले कार्यक्रमों का पूरा लाभ बूढ़े लोगों तक पहुंचे। एक नियत समय-सीमा के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। प्रत्येक कार्य के संपादन के लिए उत्तरदायित्व तय किया जाएगा। कार्यान्वयन के लिए आवश्यक बजट का प्रावधान योजना आयोग एवं वित्त-मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। पूरे वर्ष की अवधि में किए गए विकास का लेखा-जोखा संबंधित मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में होगा।

94. प्रत्येक तीन वर्ष में राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन पर 'नोडल' मंत्रालय द्वारा विस्तृत समीक्षा तैयार की जाएगी। यह एक सार्वजनिक दस्तावेज होगा। इसे तैयार करने में गैर-सरकारी सदस्य भी भाग लेंगे। एक राष्ट्रीय सम्मेलन में इसकी विवेचना की जाएगी। राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से भी आग्रह किया जाएगा कि वे इस प्रकार की कार्यवाही करें।

95. "राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद" नामक एक स्वायत्त संस्था बनाई जाएगी जो उनसे संबंधित मामलों के समन्वय एवं प्रोत्साहन का कार्य करेगी। सामाजिक न्याय और अधिकार मंत्रालय के मंत्री इस परिषद की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों एवं योजना आयोग के प्रतिनिधि रहेंगे। इसमें पांच राज्यों को बारी-बारी से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। गैर-सरकारी सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। वे गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षिक निकायों, संचार माध्यमों तथा विभिन्न क्षेत्र में वृद्धावस्था पर कार्य करने वाले विशेषज्ञों में से चुने गए प्रतिनिधि होंगे।

96 'नेशलन एसोसिएशन ऑफ ओल्डर पर्सन्स' (एन ए ओ पी एस) नामक एक पंजीकृत स्वायत्त संस्थान स्थापित किया जाएगा। यह वृद्धजनों की गतिविधियों को विस्तृत बनाएगा, उनके हक की बातें करेगा। उनकी भलाई के लिए कार्यक्रम बनाएगा और उन्हें बढ़ावा देगा। इसके साथ ही बूढ़े लोगों से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देगा। इस संगठन का कार्यालय राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला तीनों स्तरों पर होगा। यह अपने पदाधिकारी स्वयं चुनेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के कार्यालयों को स्थापित करने के लिए सरकार वित्तीय सहायता देगी। जिला स्तर के कार्यालयों को स्थापित करने के लिए इस संगठन को स्वयं संसाधन जुटाना होगा। इसके लिए सदस्यता शुल्क, चन्दा एवं अन्य मान्य तरीके अपनाए जा सकते हैं। वित्तीय सहायता आवर्ती एवं अनावर्ती (non-recurring) दोनों प्रकार के प्रशासनिक व्यय के लिए 15 वर्षों तक दी जाएगी और यह आशा की जाती है कि उसके बाद यह संगठन आर्थिक रूप से आत्म निर्भर हो जाएगा।

97. पंचायती राज व्यवस्थाओं को भी प्रेरित किया जाएगा कि वे इस राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन में भाग लें। बूढ़े लोगों से संबंधित स्थानीय समस्याओं का समाधान करें। उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखें और उनके लिए विभिन्न कार्यक्रमों का संपादन करें। इस कार्य के लिए विभिन्न मंच बनेंगे जिन पर बूढ़े लोगों की चिंताओं एवं उनके समाधान के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर चर्चा होगी। यह प्रयास किया जाएगा कि ऐसे मंच पंचायत, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर बने। उनमें महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। पंचायतों द्वारा योजनाएं बनाई जाएगी जिनके अंतर्गत बूढ़े लोग अपनी प्रतिभा एवं कौशल का विकास कर सकेंगे और स्थानीय स्तर पर उनका उपयोग कर सकेंगे। ग्राम पंचायतों की सामाजिक न्याय समितियों का सहयोग प्राप्त करना भी इन प्रयासों में शामिल होगा। ये समितियां इस नीति को सफल बनाने के लिए विभिन्न उपाय सुझाएंगी।

98. विभिन्न स्तरों पर इस नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर लोक प्रशासन के विशेषज्ञों का सहयोग लिया जाएगा। वे इस नीति के कार्यान्वयन, समन्वय एवं निरीक्षण के लिए बनने वाले संगठनात्मक ढांचे का विवरण तैयार करेंगे।